न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 88/2017 G.C.M.S. No. 2017/00173 दर्ज दिनांक : 28.04.2017

अपीलार्थी:

1. मृतक उमा पुत्र राजा, जाति मेघवाल के विधिक वारिसान सुरा पुत्र उमा, जाति मेघवाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी ढोला जागीर, तहसील सुमेरपुर व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भीकाराम पुत्र रता, जाति मीणा, निवासी ढोला शासन, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसीलदार सुमेरपुर तहसील कार्यालय सुमेरपुर व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखंड अधिकारी बाली अध्यक्ष भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प ढोला द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2013 द्वारा रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 के पक्ष में कृषि भूमि मौजा ग्राम ढोला जागीर के खसरा संख्या 914/2021 के संबंध में पारित आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति।

पैरोकार–

1. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखंड अधिकारी बाली अध्यक्ष भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प ढोला द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2013 द्वारा रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 के पक्ष में कृषि भूमि मौजा ग्राम ढोला जागीर के खसरा संख्या 914/2021 के संबंध में पारित आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में मौजा ग्राम ढोला जागीर पटवार हल्का ढोला भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला तहसील सुमेरपुर की सरहद में गत खसरा नम्बर 530 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी प्रथम की कृषि भूमि अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता उमा वल्द राजा कौम मेघवाल के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज थीं, तत्पश्चात् सेटलमेन्ट द्वारा उपरोक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि को अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज करनी थीं, जो नहीं कर उपरोक्त खसरा के नये नम्बर वर्तमान खसरा संख्या 914 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के पिता के नाम से खातेदारी दर्ज की तथा शेष भूमि के खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

914/1021 रकबा 0.14 हैक्टेयर बना दिया, और उक्त खसरा संख्या 914/1021 की भूमि को अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता उमा के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं कर सिवाय चक दर्ज की थीं, जिस पर अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता को जानकारी होने पर अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसमें श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ने पटवारी रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह आदेश दिनांक 28.02.1997 को पारित किया था कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा रिपोर्ट पत्रावली ढोला व तहसीलदार सुमेरपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि ढोला जागीर के गत खसरा नम्बर 530 रकबा 8 बीघा प्रार्थी की खातेदारी भूमि थीं, भू-प्रबन्ध विभाग ने नये खसरा नम्बर 914/1021 रकबा 0.41 हैक्टेयर बारानी प्रथम की भूमि सिवाय चक की दर्ज कर दी थी जबकि प्रार्थी का कब्जा काश्त है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर के नये खसरा नम्बर 914/1021 रकबा 0.14 हैक्टेयर बारानी प्रथम भूमि वर्तमान रेकर्ड मे बतौर खातेदारी प्रार्थी श्री उमा पुत्र राजा मेघवाल निवासी ढोला जागीर के नाम अंकन की जावे। आदेश की पालना के लिए तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का ढोला को सूचित किया जावे। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थी अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता उमा पुत्र राजा के पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसको भू प्रबन्ध विभाग ने गलत तरीके से सिवाय चक दर्ज कर देने के बाद उक्त भूमि के सम्बन्ध मे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प लापोद द्वारा उक्त खसरा नम्बर 914/1021 की भूमि को अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता उमा पुत्र राजा के नाम से खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिनांक 28.02.1997 सम्बन्धित तहसीलदार व पटवारी हल्का को देने के बावजूद भी उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज नहीं की, और उपरोक्त भूमि विधिविरूद्व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.02.2017 को तब हुई, जब अपीलान्ट को उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्व रूप से आवंटन कर दी गई। तब अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश मय पत्रावली की नकले दिनांक 09.02.2017 को प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया एवं दिनांक 15.02.2017 को उपरोक्त आवंटन आदेश की नकले प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी हुई। अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका व नोटिस नहीं दिया गया, न ही नियम 7 के अनुसार कोई आवंटन भूमि सम्बन्धित कोई उद्घोषणा की गई। अगर ऐसी विधिवत रूप से कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उद्घोषणा होती तो अपीलान्ट उक्त आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व अपनी आपत्ति जरूर प्रस्तुत कर अपने हक अधिकार के दस्तावेज प्रस्तुत करता, लेकिन ऐसी उद्घोषणा नहीं होने से भी उक्त आवंटन आदेश आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित हल्का पटवारी व तहसीलदार ने कोई विधिवत जांच नहीं की, तथा खसरा नम्बर 921/1021 के सम्बन्ध में भी ऐसी कोई जांच नहीं की न ही उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व दस्तावेज देखे कि उक्त कृषि भूमि अनअधीभोगी भूमि है जो आवंटन योग्य है। यदि हल्का पटवारी व सम्बन्धित तहसीलदार उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में विधिवत जांच करते तथा सेटलमेन्ट पूर्व के दस्तावेजों की जांच करते तो यह स्पष्ट था कि उपरोक्त कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर अपीलान्ट का मौके पर काबिज काश्त है, ऐसी कृषि भूमि अधिभोगी भूमि है जो आवंटन योग्य नही थीं। लेकिन हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच नहीं कर मात्र कैम्प में बैठकर ही मौके पर जांच रिपोर्ट तैयार कर उपरोक्त कृषि भूमि को अनअधिभोगी बताकर आवंटन योग्य बता दी। भू-राजस्व अधिनियम के आवंटन नियम 5 के तहत सम्बन्धित तहसीलदार को अनाधिवासित भूमियों की सूची तैयार करनी चाहिए थीं, और ऐसी सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायत तहसील व पंचायत समिति कार्यालय में निरक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी ऐसा किया जाना न्याय संगत था, लेकिन न तो इस नियम की पालना की गई, एवं न ही उपरोक्त कृषि भूमि को ऐसी सूची में सामिल किया गया, इस कारण से यह भी स्पष्ट था कि उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 914/1021 ऐसी सूची में सामिल नहीं होने से आवटंन योग्य नहीं थीं, इस कारण से भी उक्त आवंटन आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर व पदेन अध्यक्ष भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम ढोला जागीर के खसरा संख्या 914/1021 की भूमि को दिनांक 14.02.2013 द्वारा रेस्पोंडेंट भीकाराम पुत्र रताजी को आवंटित किए जाने के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 10.03.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.02.2017 को तब हुई, जब अपीलान्ट को उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्ध रूप से आवंटन कर दी गई। तब अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश मय पत्रावली की नकले दिनांक 09.02.2017 को प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया एवं दिनांक 15.02.2017 को उपरोक्त आवंटन आदेश की नकले प्राप्त होने पर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आराजीयात गत खसरा संख्या 530 रकबा 8 बीघा अपीलांट की खातेदारी आराजी थीं। जिसे भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा संख्या 914/1021 रकबा 0.41 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज कर दी गई। अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोंडेंट को आवंटित की गई। अतः अपीलांट को आवंटन आदेश से इसकी जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रकरण का निर्णयन म्याद जैसे कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। प्रकरण में विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आराजीयात के भू–अभिलेख से स्पष्ट है कि पुराना खसरा संख्या 530 रकबा 8 बीघा गेना पुत्र जेठा के नाम खातेदारी में दर्ज था। जिसका विक्रय कर देने से क्रेता उमा पुत्र राजा अपीलांट के नाम दर्ज किया गया। भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान गत खसरा संख्या 530 रकबा 8 बीघा से नवीन खसरा संख्या 914 रकबा 0.62 हैक्टेयर एवं 914/1021 रकबा 0.40 हैक्टेयर सृजित हुए। जिसमें से खसरा संख्या 914 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज रहा तथा खसरा संख्या 914/1021 सिवायचक दर्ज किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अभिलेख शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, भू.अ.नि. एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। उक्त प्रकरण संख्या 690/97 में उपखंड अधिकारी बाली द्वारा दिनांक 28.02.1997 को पारित आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 914/1021 रकबा 0.40 हैक्टेयर प्रार्थी उमा पुत्र राजा के नाम खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया। जिसकी अनुपालना भू–अभिलेख में नहीं की गई एवं अपीलाधीन आराजी भू–अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई। जो हमारे विनम्र मत में विधिसम्मत नहीं हैं। क्योंकि वस्तुतः उक्त आराजी भू–अभिलेखीय त्रुटि एवं भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर की गई कार्यवाही से अपीलांट की खातेदारी में से सिवायचक दर्ज की गई। वस्तुतः उक्त आराजी आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं थीं। अतः ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेंट प्रार्थी को आवंटन नहीं किया जा सकता था।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली अध्यक्ष भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प ढोला द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2013 द्वारा रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 के पक्ष में कृषि भूमि मौजा ग्राम ढोला जागीर के खसरा संख्या 914/2021 के संबंध में पारित आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली